राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–828/2025

डॉ. ऊषा रानी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (गायनी) के पद पर जिला चिकित्सालय, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण सीएचसी, नांदौती, जिला करौली में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में हैं, उनका भी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा सवाईमाधोपुर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण करौली किया गया है। अपीलार्थी की माता बीमार है और वर्तमान में वह अस्पताल में भर्ती है। इस प्रकार अपीलार्थी और उनके पति दोनों ही गंगापुरसिटी में पदस्थापित नहीं है। अतः उनकी माता का ईलाज कराने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। ऐसें में अपीलार्थी का

स्थानान्तरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड रहा है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की माता का ईलाज एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में चल रहा है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी गंगापुरसिटी में रहकर अपनी माता का ईलाज कराने में असमर्थ है। अपीलार्थी की माता का ईलाज गंगापुरसिटी में न होकर जयपुर में चल रहा है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण से उनकी माता के ईलाज में कोई कठिनाई उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)